



राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय  
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2013/I/61944/2016

दिनांक: 27-12-2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं,  
उप/सहायक निदेशक  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,  
समस्त

विषय:- डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम, 2000 तथा आई.टी.एक्ट, 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में ई-साईन युक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं। आमजन की सुविधा एवं कार्य की त्वरित गति से निष्पादन कराये जाने के उद्देश्य से राज्य में कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) शहरी एवं ग्रामीण तथा जिले में स्थित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिकाएँ एवं जिला चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी में कार्यरत रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को ई-साईन के विकल्प में डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की भी अनुमति प्रदान की जाती है, परन्तु डी.एस.सी. (DSC) का व्यय सम्बन्धित स्थानीय निकाय के द्वारा ही वहन किया जावेगा।

भवदीय,

  
(ओम प्रकाश बैरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव